न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 निग0 निगरानी-2807/2018/जबलपुर/भू.रा. जिला जबलपुर

सुखलाल कुसरे उम्र 55 वर्ष पिता श्री सुदंरसिंह कुसरे
जाति गौंड, पेशा नौकरी
निवासी 2ए37 भारत कालोनी
शिमल हिल्स मदनमहल
प्रेमनगर, जबलपुर ---- आवेदक

विरुद्ध

1- सिद्धार्थ कुमार खरे पिता स्व0 जी0डी0खरे
निवासी जी-11, रौनिक सोसायटी,
शक्ति नगर जबलपुर

2- तात्या जी हूमने पिता श्री देवी जी हूमने
निवासी 2489, उखरी रोड
स्टेट बैंक कॉलोनी, जबलपुर

3- अशोक रामचंद्र रामटेके पिता रामचंद रामटेके
निवासी 2490 उखरी रोड,
स्टेट बैंक कालोनी, जबलपुर ---- अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ-21/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 6-12-17 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत निगरानी.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है -

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 2807/2018/जबलपुर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-9-18	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । उनके द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 11-7-18 में पक्षकारों के शीर्ष में त्रुटिवश अपीलार्थी के पिता का नाम चंदरसिंह के स्थान पर सुंदरसिंह तथा आदेश के प्रथम पैरा में 6-12-17 के स्थान पर 6-12-18 टंकित हो गया है । इसी प्रकार आदेश के पैरा 3 की 25 वीं लाइन में कलेक्टर, जबलपुर के स्थान पर कलेक्टर, कटनी टंकित हो गया है तथा 26 वीं लाइन में 24-7-17 के बाद 6-12-17 छूट गया है । उनके द्वारा आदेश में उक्त त्रुटियों को सुधार किये जाने का निवेदन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताई गई त्रुटियों की पुष्टि प्रकरण के अवलोकन से होती है और उक्त त्रुटियों का सुधार किए जाने से प्रकरण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है । अतः न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि पक्षकारों के शीर्ष में अपीलार्थी के पिता का नाम सुंदरसिंह के स्थान पर चंदरसिंह, आदेश के प्रथम पैरा में 6-12-18 के स्थान पर 6-12-17 तथा आदेश के पैरा 3 की 25 वीं लाइन में कलेक्टर, कटनी के स्थान पर कलेक्टर, जबलपुर तथा 26 वीं लाइन में 24-7-17 के स्थान पर दिनांक 24-7-17 एवं 6-12-17 पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । प्रशा0 सदस्य	